सं. 9/33/2012-बीपीएण्डएल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(बीपीएण्डएल अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त, 2012

<u>आदेश</u>

जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4क(1) प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए इसे बाध्यकारी बनाती है कि अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी तारीखों से डिजिटलन एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के माध्यम से एनक्रिप्टड रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों को प्रसारित या पुन: प्रसारित करे। विभिन्न शहरों में डीएएस के माध्यम से एनक्रिप्टिड रूप में कार्यक्रमों के प्रसारण या पुन: प्रसारण के लिए तारीखों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना 11.11.2011 को जारी की गई है, जिसे दिनांक 21.6.2012 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

2. जबकि अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा(7), अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करती है कि प्रत्येक केबल आपरेटर अपनी केबल सेवाओं से संबंधित सूचना ऐसे फार्मेट में और ऐसे आवधिक अंतरालों पर केन्द्र सरकार को प्रदान करेगा जैसा कि इसके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है।

3. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1995 के नियम 10क (1) और नियम 11घ (ख क) में प्रावधान है कि प्रत्येक एमएसओ ऐसी सूचना, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा मांगी जाती है, और ऐसी अवधि और ऐसे फार्मेट में, जैसाकि ऐसा सरकार या एजेंसी या अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, विनिर्दिष्ट समय में देने के लिए बद्ध होगा।

4. जबकि मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 19 सीएससी (डीडीए) सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025 में है, को निबंधन और शर्तों, अन्य बातों के साथ-साथ कि एमएसओ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के अध्यधीन केबल टेलीविजन नियम, 1994 के नियम 11ड. के तहत डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली में मल्टी-सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) के रूप में प्रचालन के लिए मंत्रालय के दिनांक 18.7.2012 के पत्र सं. 9/33/2012-बीपीएण्डएल के अनुसार अस्थायी पंजीकरण/अनुमति जारी की गई है।

5. जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में फेस-I में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की नियमित मानीटरिंग के भाग के रूप में मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड को मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था कि तीन फार्मेट में डाटा/सूचना प्रस्तुत करे जैसा कि उनको 13.7.2012 की ई-मेल द्वारा सूचित किया गया था। चूंकि निर्धारित तारीख तक डाटा प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए 23.7.2012 तक अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के लिए 19.7.2012 को अनुस्मारक भी जारी किया गया था। अपेक्षित डाटा मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड द्वारा आगे की योजना की तैयारी सहित तैयारियों को देखने के लिए अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नेटवर्क पर सभी उपभोक्ता आवश्यक तकनीकी अवसंरचना, जैसे कि उपभोक्ताओं के परिसरों में सेट टाप बाक्सों की संस्थापना, द्वारा कवर किए जाएंगे ताकि किसी उपभोक्ता को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख से एनलाग सिगनल बंद करने के कारण केबल टीवी में रूकावट के रूप में कोई कठिनाई न हो।

6. जबकि मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड का अपने मौजूदा हैडएंड और 500 चैनल रखने की अपनी विस्तार योजना के ब्यौरे प्रदान करने के लिए मंत्रालय के दिनांक 26.7.2012 के पत्र सं 9/79/2012-बीपीएण्डएल द्वारा कहा गया था जिसका उद्देश्य दिनांक 30.4.2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा जारी अंत: संयोजन विनियम, 2012 के तहत किए गए प्रावधानों की एमएसओ की तैयारी का मूल्यांकन करना था। सूचना 29.7.2012

तक दी जानी चाहिए थी, तथापि, इस संबंध में मांगे गए ब्यौरे आज तक मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

7. जबकि मै. होम नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड द्वारा डाटा/सूचना/ब्यौरे न प्रस्तुत करने को देखते हुए दिनांक 7.8.2012 के पत्र सं. 9/38/2012-बीपीएण्डएल द्वारा मै. होम केवल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था कि दिनांक 18.7.2012 के उपरोक्त पत्र के अनुसार उनको प्रदान किया गया अस्थायी पंजीकरण को क्यों न निलंबित या रद्द कर दिया जाए और एमएसओ को एससीएन का उत्तर इसके प्राप्ति की तारीख से 15 दिन में देने के लिए कहा गया था, जिसके न दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लि. को मामले में कुछ नहीं कहना है और मामले में केन्द्र सरकार द्वारा एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

8. जबकि 13.8.2012 को डीएएस कार्यान्वयन की तैयारी के मूल्यांकन के लिए अपर सचिव (आईएण्डबी) द्वारा ली गई एमएसओ की समीक्षा बैठक के दौरान मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड को पुन: डीएएस के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांगी गई सूचना/डाटा/ब्यौरे जल्दी देने के लिए स्मरण कराया गया। श्री विक्की चौधरी, निदेशक मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड, जिन्होंने 13.8.2012 को आयोजित बैठक में भाग लिया था, ने आश्वस्त किया कि उसके द्वारा इसे एक या दो दिन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

9. जबकि एमएसओ ने मंत्रालय के एससीएन के लिए अपना उत्तर अपने दिनांक 21.8.2012 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच की गई है। यह प्रेक्षित किया गया है कि एससीएन में उठाए गए मुद्दों के लिए न तो उत्तर दिया है न ही एमएसओ से मंत्रालय द्वारा मांगी गई सूचना दी गई है जो एससीएन जारी करना के लिए प्रस्तुत किया गया पहला कारण था। इसलिए मै. होम नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टीबी टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के प्रावधानों और दिनांक 18.7.2012 के उपरोक्त अस्थायी पंजीकरण में विहित निबंधन एवं शर्तों का भी अनुपालन करने में असमर्थ रहा है।

10. जबकि मंत्रालय द्वारा बार-बार लिखित और मौखिक अनुरोधों के बावजूद मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड द्वारा सूचना/डाटा/ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और इस प्रकार वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के प्रावधानों और दिनांक 18.7.2012 के उपरोक्त अस्थायी पंजीकरण में विहित निबंधन और शर्तों का भी अनुपालन करने में असमर्थ रहे हैं।

11. जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4(7) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकती है यदि केबल आपरेटर ऐसे पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के एक या अधिक का उल्लंघन करता है।

12. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उप-धारा (7) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली में मल्टी-सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) के रूप में प्रचालन के लिए मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय 19सीएससी (डीडीए) सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025 में है को दिनांक 18.07.2012 के मंत्रालय के पत्र सं. 9/33/2012-बीपीएण्डएल द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी पंजीकरण/अनुमति को रद्द करती है।

ह./

(के.एस. रिजीमोन)

निदेशक (बीपीएण्डएल)

फोन : 23381246

मै. होम केबल नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड,

9 सीएससी (डीडीए) सुखदेव विहार,

नई दिल्ली-110025

सं. 9/59/2012-बीपीएण्डएल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(बीपीएण्डएल अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2012

<u>आदेश</u>

जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4(क(1) प्रत्येक केबिल आपरेटर के लिए यह बाध्यकारी करती हैकि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के माध्यम से एनक्रिप्टिड रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों को प्रसारित या पुन: प्रसारित करे। विभिन्न शहरों में डीएएस के माध्यम से एनक्रिप्टिड रूप में कार्यक्रमों के प्रसारण या पुन: प्रसारण के लिए तारीखों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना 11.11.2011 को जारी की गई है, जिसे दिनांक 21.6.2012 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

2. जबकि अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (7), अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करती है कि प्रत्येक केबल आपरेटर अपनी केबल सेवाओं से संबंधित सूचना ऐसे फार्मेट में और ऐसे अवधिक अंतरालों पर केन्द्र सरकार को प्रदान करेगा जैसा कि इसके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है।

3. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1995 के नियम 10क(1) और नियम 11घ (ख क) में प्रावधान है कि प्रत्येक एमएसओ ऐसी सूचना, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा मांगी जाती है, और ऐसी अवधि और ऐसे फार्मेट में, जैसा कि ऐसा सरकार या एजेंसी या अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, विनिर्दिष्ट समय में देने के लिए बाध्य होगा।

4. जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम २(ग) में प्रावधान है कि "एमएसओ" का तात्पर्य किसी केबल आपरेटर से है जिसे इसके नियम 11ग के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया हो।

5. जबकि मै. स्वामी केबल नेटवर्क, जिसका पंजीकरण कार्यालय ई-7ए/371, संगम विहार, नई दिल्ली-110062 में है, को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11ड. के तहत डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में मल्ली-सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) के रूप में निबंधन और शर्तों, अन्यों के साथ-सथ, कि एमएसओ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के पालन करने के अध्यधीन प्रचालन के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 29.6.2012 के पत्र सं. 9/59/2012 के अनुसार अस्थायी पंजीकरण/अनुमति जारी की गई थी।

6. जबकि, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों के चरण-I में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के कार्यान्वयन के नियमित मानीटरिंग के भाग के रूप में मै. स्वामी केबल नेटवर्क को इस मंत्रालय द्वारा उनको 13.7.2012 के ई-मेल द्वारा यथा संसूचित तीन फार्मेट में डाटा/सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था और इसे 17 जुलाई, 2012 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। चूंकि निर्धारित तारीख तक डाटा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए अपेक्षित डाटा 23.7.2012 तक प्रस्तुत करने के लिए 19.7.2012 को अनुस्मारक जारी किया था। अपेक्षित डाटा मै. स्वामी केबल नेटवर्क द्वारा अगली तैयारी करने की योजना सहित तैयारियों को देखने के लिए अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नेटवर्क पर सभी उपभोक्ता आवश्यक तकनीकी अवसंरचना जैसे उपभोक्ताओं के परिसर में सेट टाप बाक्सों की संस्थापना, द्वारा कवर होने जा रहे हैं ताकि किसी उपभोक्ता को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की तारीख को एनलॉग सिगनलों के बंद होने के कारण केबल टीवी में रूकावट के रूप में कोई कठिनाई न हो।

7. जबकि मै. स्वामी केबल नेटवर्क को इस मंत्रालय के दिनांक 26.7.2012 के पत्र सं. 9/79/2012-बीपीएण्डएल द्वारा अपने मौजूदा हैडएंड और 500 चैनल चलाने के लिए अपनी विस्तार योजना के ब्यौरे प्रदान करने के लिए कहा गया था ताकि दिनांक 30.4.2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा जारी अंत:संयोजन विनियम, 2012 के खंड 8 के तहत किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने की एमएसओ की तैयारी का मूल्यांकन किया जा सके। यह सूचना दिनांक 29.7.2012 द्वारा प्रदान की जानी थी। तथापि, इस संबंध में मै. स्वामी केबल नेटवर्क द्वारा आज तक मांगे गए ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

8. जबकि मै. स्वामी केबल नेटवर्क द्वारा डाटा/सूचना/ब्यौरे न प्रस्तुत किए जाने को देखते हुए दिनांक 7.8.2012 के पत्र सं. 9/38/2012 बीपीएण्डएल द्वारा स्वामी केबल नेटवर्क को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था कि दिनांक 29.6.2012 उपरोक्त पत्र के अनुसार उनको प्रदान किया गया अस्थायी पंजीकरण क्यों न निलंबित या रद्द कर दिया जाए स्पष्ट करें और एसएसओ को एससीएन का उत्तर इसके प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर देने के लिए कहा गया था जिसके न दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि मै. स्वामी केबल नेटवर्क को मामले में कुछ नहीं कहना है और इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा एकपक्षीय उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। एमएसओ आज तक एससीएन का उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है और इस प्रकार मै. स्वामी केबल नेटवर्क केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), 1995 और केबल टैलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियमों के प्रावधानों और दिनांक 29.6.2012 के उपरोक्त अस्थायी पंजीकरण में विहित निबंधन और शर्तों के अनुपालन में भी असमर्थ रहा है।

9. जबकि मंत्रालय द्वारा बार-बार लिखित अनुरोधों के बावजूद भी मै. स्वामी केबल नेटवर्क ने सूचना/डाटा/ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं और इस प्रकार एमएसओ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), 1994 के प्रावधानों और दिनांक 29.6.2012 के उपरोक्त अस्थायी पंजीकरण में विहित निबंधन एवं शर्तों का भी अनुपालन करने में असमर्थ रहा है।

11. जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995, की धारा 4(7) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार पंजीकरण निलंबित या रद्द कर सकती है यदि केबल आपरेटर ऐसे पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के एक या अधिक का उल्लंघन करता है।

12. इसलिए, अब केन्द्र सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उप-धारा (7) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र के शहरों/नगरों/क्षेत्रों अधिसूचना सां.आ सं. 2534(अ), दिनांक 11.11.2011 में यथा अधिसूचित चरण-I, चरण-II, चरण-III और चरण-IV के विरूद्ध आने वाले यू.पी., पंजाब, हरियाणा, बहिर और राजस्थान राज्य के शहरों/नगरों/क्षेत्रों में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में प्रचालन करने के लिए मै. स्वामी केबल नेटवर्क, जिसका

पंजीकृत कार्यालय ई-7क/371, संगम विहार, नई दिल्ली-110062 में है, को इस मंत्रालय के दिनांक 29.6.2012 के पत्र सं. 9/59/2012-बीपीएण्डएल द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी पंजीकरण/अनुमति रद्द करती है।

ह./

(के.एस. रिजीमोन)

निदेशक (बीपीएण्डएल)

मै. स्वामी केबल नेटवर्क,

ई-7ए/371, संगम विहार, नई दिल्ली-110062